2/15 अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

A2/5

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया नक्शा ग्राम पंचायत हाजा का नहीं है। स्वयं ग्राम पंचायत ने लिखकर दिया है कि इससे संबंधित रिकार्ड नहीं है।

4. समायत बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गौर पूर्वक अवलोकन किया गया। अप्रार्थी को जारी किया गया पट्टा संख्या 59 , 50 वर्ष पूर्व के कब्जे के आधार पर सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा 9.12.2010 को जारी किया गया है। उक्त पट्टा को इस आधार पर चुनौति दी गई है कि यह सार्वजनिक चौक की जगह है जिसका पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। निगरानीकृत पट्टा प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 06.12.2010 वार्ड पंच कमेटी के आधार पर आपति नोटिस जारी कर जारी किया गया है। निगरानीकर्ता का अनुतोष यह है कि अप्रार्थी द्वारा सार्वजनिक गली का पट्टा जारी करवा लिया गया है अप्रार्थी धूड़ाराम को सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये नोटिसेज में उसे आवंटित आहाता के पश्चिम दिशा में गली खोलकर कब्जा हटाने के लिये लिखा गया है।

5. सार्वजनिक गली का पट्टा जारी किया जाना प्रमाणित नहीं है। निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है व सरपंच ग्राम पंचायत 2 डब्ल्यु गुरूसर को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी द्वारा पट्टा की भूमि के अतिरिक्त अन्य स्थान पर अतिक्रमण किया गया है तो वह हटाया जावे।

6. निर्णय की प्रति के साथ रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर तरतीब तकमील की जाकर हस्व जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर

प्रकरण संख्या :–02 / 2015 वर्षः– 2015

सुरजीतसिंह पुत्र श्री सरदारासिह जाति जटसिख निवासी गांव 10 डब्ल्यु तहसील श्री करणपुर

––निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत 2 डब्ल्यु जरिये सरपंच ग्राम पंचायत 2 डब्ल्यु तहसील श्री करणपुर
2. धूड़ा राम पुत्र श्री बिशना राम जाति नायक निवासी 10 डब्ल्यु त. श्रीकरणपुर

––गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत 2 डब्ल्यु दिनांक 9.12.10 गली आम में रैस्पोडेंट सं. 2 को अहाता सं. 69–70 आवंटन किया गया को निरस्त किया जाकर गली आम में से कब्जा हटाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री तेजासिंह एडवोकेट– निगरानीकर्ता की ओर से
2. श्री दयाराम छींपा एडवोकेट गैर निगरानीकर्ता की ओर से

निर्णय दिनांक 16/6/17

1. तथ्य इस प्रकार से हैं कि निगरानी कर्ता द्वारा निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 इस कदर पेश की गई कि निगरानी कर्ता का स्वयं का प्लाट संख्या 65, 66 है के सामने सार्वजनिक गली है। अनावेदक संख्या 2 द्वारा अनावेदक संख्या 2 से मिलकर साजिशाना पुराने कब्जे के आधार पर 200 रूपये शुल्क अदा कर विधि विरूद्ध आवंटन करवा लिया है। वादग्रस्त स्थान सार्वजनिक गली है। गली, चौक व चारागाह की भूमि को ग्राम पंचायत द्वारा आवन्टन नहीं किया जा सकता। धारा 157 ख में 50 साल या 100 साल पुराने कब्जे के आधार पर नियमन किया जा सकता है। अतः आदेश निरस्तनीय है। प्रार्थी ने ग्राम पंचायत को कब्जा हटाने के लिये आवेदन भी दिया था व ग्राम पंचायत ने दिनांक 03.06.14 ,14.6.2014 व 5.07.14 को कब्जा हटाने के लिये नोटिस दिया लेकिन अनावेदक सं0 2 द्वारा इन्कार कर दिया गया यहीं वाद कारण उत्पन्न हुआ। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश श्री करणपुर में स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया व एक पक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। बाद में दोनों पक्षों को सुनकर अप्रार्थी संख्या 2 का दावा दिनांक खारिज कर दिया गया। पंचायत का निर्णय खिलाफ कानून है जो अपास्त फरमाया जावे।
2. निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई व अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा संबंधित रिकार्ड प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री दया राम छीपा एडवोकेट द्वारा वकालत नामा पेश किया गया।
3. बहस उभय पक्षीय सुनी गई। सुयोग्य अधिवक्ता निगरानीकर्ता का बहस में कथन है कि कि निगरानी कर्ता का आहाता संख्या 65,66 है जिसके सामने सार्वजनिक गली आम है। अनावेदक संख्या 2 द्वारा अनावेदक संख्या 2 से मिली भगत करके पुराने कब्जे के आधार पर प्रश्नगत आहाताजात का आवंटन करवा लिया है। गली, चौक व चारागाह की भूमि को ग्राम पंचायत द्वारा आवन्टन नहीं किया जा सकता। अतः आदेश निरस्तनीय है। प्रार्थी ने ग्राम पंचायत को कब्जा हटाने के लिये आवेदन भी दिया था व ग्राम पंचायत ने दिनांक 03.06.14 ,14.6.2014 व 5.07.14 को कब्जा हटाने के लिये नोटिस दिया लेकिन अनावेदक सं0 2 द्वारा कब्जा नहीं हटाया। ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये नोटिस के खिलाफ अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश श्री करणपुर में स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया व स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। जो दोनों पक्षों को सुनकर अप्रार्थी संख्या 2 का दावा खारिज कर दिया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 2 का तर्क है कि निगरानीकर्ता को निगरानी पेश करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

जिला कलैक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर